



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन 1943 (श०)

(सं० पटना 76) पटना, मंगलवार, 22 फरवरी 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी 2022

सं० 6/नि०प्रति०नियु०-01-01/2021-337/वा०कर-बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान लेवल-9 रु०-53100-1,67,800 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के रूप में नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	उम्मीदवारों का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	गृह जिला	अभ्युक्ति (वांछित कागजात)
1	2	3	4	5	6
1	नितेश कुमार	26	सामान्य	पटना	---
2	हिमांशु शेखर	74	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पूर्णिया	---
3	मो० वसीम	85	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अरवल	---
4	अराधना रविन्द्र	105	पिछड़े वर्गों की महिला	नालंदा	इन्टरमीडिएट एवं स्नातक का मूल प्रमाण-पत्र
5	कौशल कुमार	454	अनु०जाति	जहानाबाद	पूर्व नियोक्ता का मूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र

2. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों ने जॉच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ-6 में यथा उल्लिखित वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के साथ वांछित प्रमाण-पत्र राज्य-कर विशेष आयुक्त के समक्ष समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे मूलरूप में प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
5. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।
10. मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक 6268 दिनांक 29.06.2021 के आलोक में विहित प्रपत्र में चल-अचल संपत्ति विवरणी का ब्यौरा मूल में समर्पित करेंगे।
11. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि, वे 03-03-2022 को अपना योगदान निश्चित रूप से राज्य-कर विशेष आयुक्त (राजपत्रित), विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना-800015 को समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 76-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>